न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 81/13 (वाद)

1. श्री नवलराम पिता भगा भील निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती केशीबाई पत्नी स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
3. श्री कालुलाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
4. श्री पन्नालाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
5. श्री राधु उर्फ राजेश पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
6. श्री नन्दलाल पिता स्व. देवा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
7. श्रीमती रमली उर्फ रम्भाबाई पत्नी देवा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
8. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी हीरालाल पुत्री देवा भील निवासी कानपुर तह. गिर्वा।
9. श्रीमती धापुबाई पत्नी रूपा पुत्री देवा भील निवासी माल की टूस जिला उदयपुर।
10. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी लोगर पुत्री देवा भील निवासी टिला का खेडा।
11. श्रीमती गंगाबाई पत्नी चुन्नीलाल पुत्री देवा भील निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 05.08.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुलसीदास जी की सराय, पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 229, 431, 432, 433 किता 4 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वाद में वर्णित आराजीयात का मैं वादी खातेदार काश्तकार हो अपने खातेदारी की भूमियों पर काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूं। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं हैं लेकिन प्रतिवादीगण नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हडपने की नियत से मेरे खातदोरी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को अपने खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त

वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मै वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

2. मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ वादी की स्वतंत्र खातेदारी की है जिस पर मैं वादी अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियों को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को उक्त जमीन से बेदखल करने पर आमादा है और मुझ वादी की खातेदारी की कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और धमकीयां दे रहे है कि वह मुझ वादी को मेरी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मै वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

3. वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 05.02.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

4. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियो का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करें, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।
6. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री नवलराम का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की।
7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो दस्तावेज प्रदर्श 1 हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 11 वर्तमान में खातेदार नहीं हैं। वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने से वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हैं। ऐसी स्थिति में वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादीगण खातेदार नहीं होने से वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने का प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं हैं। प्रतिवादीगण लगातार वादी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी कर वादी की काश्त में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 229, 431, 432, 433 किता 4 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 11 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करे। वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। उक्त कार्य न स्वयं न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नवलराम पिता भगा भील निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्रीमती केशीबाई पत्नी स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
2. श्री मांगीलाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
3. श्री कालुलाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
4. श्री पन्नालाल पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
5. श्री राधु उर्फ राजेश पिता स्व. भेरा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
6. श्री नन्दलाल पिता स्व. देवा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
7. श्रीमती रमली उर्फ रम्भाबाई पत्नी देवा भील निवासी तुलसीदासजी की सराय तह. मावली।
8. श्रीमती लोगरीबाई पत्नी हीरालाल पुत्री देवा भील निवासी कानपुर तह. गिर्वा।
9. श्रीमती धापुबाई पत्नी रूपा पुत्री देवा भील निवासी माल की टूस जिला उदयपुर।
10. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी लोगर पुत्री देवा भील निवासी टिला का खेडा।
11. श्रीमती गंगाबाई पत्नी चुन्नीलाल पुत्री देवा भील निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 81/13 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 229, 431, 432, 433 किता 4 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 11 वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करे। वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। उक्त कार्य न स्वयं न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत करावे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली